COURT FEE Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(118)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्र.   /2018

1. छकनलाल पुत्र गनपत सिंह ठाकुर,
2. श्रीमती बीना बाई पति छकनलाल,

निवासीगण– ग्राम अगरिया चौपड़ा तहसील व जिला रायसेन (म.प.)

--आवेदकगण

नवलोकन – 4687/2018/रायसेन/

श्री विनोद भार्गव ...
द्वारा आज दि. 6-7-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 8-8-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.)

--अनावेदक

मानीय न्यायालय राजस्व मण्डल प्रशासकीय सदस्य श्री मनोज गोयल द्वारा प्रकरण अपील क्रमांक 2058–पीबीआर/06 में पारित आदेश दिनांक 10/05/2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
06-07-2018

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन/4687/2018/रायसेन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
23-8-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । मूल अपील प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक अपील 2058-पीबीआर/06 में पारित आदेश दिनांक 10-5-18 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, आवेदकगण द्वारा केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	